

FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत..... मुकाम.....

बनाम.....

किस्म मुकदमा..... नं..... सन्.....

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
<p>04/06/2020</p> <p>23/06/2020</p>	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांत के वकील श्री.....</p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वद/अपील धारा.....</p> <p>राजस्थान कायदाकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रिस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक..... को पेश हो।</p> <p>4 6 2020</p> <p>सहायक कलक्टर (SDO) बायतु</p> <p>प्रार्थी वकील उपरोक्त विधायिका के नोटिस तामिल हुआ प्राप्त जिसे तामिल पत्रावली दिया गया। विधायिका वाकजुस तामिल अनुपरोक्त न्यायालय समय तीन बार कावाज लगाई गई अन्तिम कावाज 5:45 PM पर लगाई गई विधायिका स्वयं या उनसे कोर्ट ले डोर अधिवक्ता उपरोक्त नही हुआ लिया उनसे विरुद्ध एडवोकेट का कार्य कमल के लाई जाती है प्रार्थी के अधिवक्ता से एडवोकेट बचत हुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता को वाकफा से प्रार्थी व विधायिका के क्वेरी के मध्य जो पुरानी माटे व डोर काये हुए थे जो वर्तमान के अधिवक्ता से वजह ले विधायिका</p>	

विश्वेश्वर

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु



गम है। प्रार्थी व विप्राथीगणों के प्रारंभिक चयन से  
 सेठ कामे हुए हैं। प्रार्थी के अपने चयन के लेखों  
 लक्ष्य ज्ञान नहीं होने से प्रार्थी व विप्राथीगणों के  
 मध्य लेखों को लेकर हमेशा तनाव बना रहता  
 है। इसलिए प्रार्थी के अपने चयन के लेखों का लक्ष्य  
 ज्ञान डालने हेतु नियमबन्दी करवाना आवश्यक है।  
 इसलिए प्रार्थी का नियमबन्दी आवेदन स्वीकार किया  
 जाकर नियमबन्दी काईदा किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिकतम के निर्देश पर  
 प्रार्थी का नियमबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर  
 तदनुसार कामों को उम्मीदवार व सम्बन्धित अधिकारी  
 को लक्ष्य उम्मीदवार नियुक्त किया जाकर काईदा  
 किया जाता है कि कार्य स्वयं या लक्ष्य उम्मीदवार  
 से प्रार्थी के प्रारंभिक चयन से पक्की नियमबन्दी  
 मोड पर उम्मीदवार कुल जमा 18537 रु। पालना  
 रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पञ्जावली ही पञ्जावली  
 मसल कुमा होंडा डर्ज नम्बर से उम्मीदवार  
 दस्तावेज है।

  
 सहायक कलेक्टर  
 (SDO) बायतु

राज्यपाल उपखण्ड आ  
 2020/44  
 न संख्या -102/2020

श्री अरविन्द कर्ना पुनमरान  
 निचली-बायतु, जिला-बायतु  
 तहसील-बायतु, जिला-बायतु  
 प्रार्थना पत्र अलगत धारा 12

यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु जिला बाड़मेर

दिनांक:- 23.6.2020

आवेदन/2020/441  
वेदन संख्या -102/2020

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

श्री आशीदेवी पत्नी पुनमाराम  
वगैरा 10, जाति-मेघवाल,  
निवासी-बायतु चिमनजी,  
तहसील-बायतु, जिला-बाड़मेर

श्री नरसिंगाराम पुत्र खेराजराम वगैरा  
27  
निवासी-बायतु चिमनजी,  
तहसील-बायतु, जिला-बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा बायतु चिमनजी पटवार हल्का बायतु चिमनजी तहसील बायतु जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 537, 538 रकबा 0.0324, 10.0640 हेक्टेयर की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।




(विवेक व्यास)

उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक:- 23/6/2020

क्रमांक/आवेदन/2020/442-46  
प्रतिलिपि :-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार, बायतु।
2. पटवारी हल्का, बायतु चिमनजी को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री आशीदेवी पत्नी पुनमाराम वगैरा 10।
4. विप्रार्थीगण श्री नरसिंगाराम पुत्र खेराजराम वगैरा 27।
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, बायतु।

  
उपखण्ड अधिकारी बायतु